न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रार्थना–पत्र नम्बरः– 02 / 2023

अनवान : –

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रार्थी**

बनाम्

1. राजूराम पुत्र ताराचन्द जाति नायक निवासी जनानिया तहसील नोहर।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति :– 1. **राजपेरोकार**

निर्णय दिनांकः 26/9/23

तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजूराम पुत्र ताराचन्द जाति नायक निवासी जनानिया द्वारा सिवाय चक भूमि ग्राम चक 6 जेएसएन के प0न0 372 / 384 मु0न0 105 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 16–17, 19–20, 25 की भूमि रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा उक्त भूमि में से किला न0 10 में मौके पर कीकर के पेड़ 4 (बड़े 2, छोट 2) नीम का 1 पेड़ (बड़ा) सिवाय चक भूमि के खाता संख्या 170 में से बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से पेड़ काटने बाबत शिकायत प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र की जांच व आवश्यक कार्यवाही हेतु नायब तहसीलदार फेफाना द्वारा अपने पत्रांक राजस्व /2023 / 65 दिनांक 04.01.2023 द्वारा मय पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 03.01.2023 पेश की जिसके अनुसार रोही मौजा ग्राम चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 170 के प0न0 372 / 384 मु0न0 105 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 16–17, 19–20, 25 की भूमि रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है तथा उक्त भूमि में से किला न0 10 में मौके पर कीकर के पेड़ 4 (बड़े 2, छोट 2) नीम का 1 पेड़ (बड़ा) अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम पुत्र ताराचन्द जाति नायक निवासी जनानिया तहसील नोहर द्वारा उक्त पेड़ों को काटा गया है एवं उक्त पेड़ों को बहक सरकार कुर्क किया गया है। किला न0 10 में मौके पर कीकर के पेड़ 4 (बड़े 2, छोट 2) नीम का 1 पेड़ (बड़ा) इस प्रकार कुल 5 हरे पेड़ों को मौजीज व्यक्तियों श्री शिशपाल पुत्र जयकिशन, सतीश कुमार पुत्र जगदीश एवं दाताराम पुत्र चुनीराम जाट की सुपुर्दगी में दिये गये है। सुपुर्दगीकार को पेड़ खुर्द बुर्द न हो इसकी हिदायत दी गई। अप्रार्थी स0 1 द्वारा उक्त हरे पेड़ काटने / हटाने संबंधी कोई स्वीकृति / आज्ञा प्राप्त नहीं की गई है। पेड़ों को बिना स्वीकृति के काटे जाने पर राज्य सरकार द्वारा रोक (प्रतिबन्ध) लगाई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:56:25 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा किला न0 10 में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के कुल 5

पेड़ (1 कीकर व 1 नीम) काटे गये है के विरूद्ध भारी से भारी जुर्माना एवं मौके पर पड़े 5 पेड़ों की निलामी की कार्यवाही के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 द्वारा दिनांक 28.07.2023 को जवाब पेश कर निवेदन किया की उत्तरदाता निहायत एक गरीब मजदूर है जो कि भेड़ बकरी की चराई करता है उत्तरदाता द्वारा भेड़ बकरी की चराई हेतु उक्त विवादित भूमि पर खड़े झाड़ियों की छंगाई कर बकरियों एवं पशुओं की चराई की है किसी प्रकार के पेड़ों की कटाई नही की है। उत्तरदाता एक भोला भाला अनपढ़ व्यक्ति है जिसको तंग व परेशान करने के लिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मनगढ़त तैयार कर दर्ज करवाया गया है जो कि खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जवाब प्रार्थना पत्र का गहराई से अध्ययन किया। पत्रावली एवं दस्तावेजों एवं पटवार हल्का पदमपुरा की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के रोही मौजा ग्राम चक 6 जेएसएन के खाता संख्या 170 के प0न0 372/384 मु0न0 105 के किला न0 10 में कीकर के पेड़ 4 (बड़े 2, छोट 2) नीम का 1 पेड़ (बड़ा) कुल 5 पेड़ काटे गये है। बिना स्वीकृति के हरे पेड़ काटना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 के उल्लंघन कारित करने पर अप्रार्थी स0 1 को 100/– (अखरे एक सौ रूपये मात्र) प्रति पेड़ के हिसाब से शास्ति धारा 86 आरटीए के अन्तर्गत अध्यारोपित की जाती है। अप्रार्थी स0 1 उक्त 05 पेड़ों की राशि 500/– (अखरे पांच सौ रूपयें मात्र) राजकोष में जमा करवावें एवं उक्त पेड़ों की एवज में दुगुने पेड़ अर्थात 10 पेड़ खेजड़ी/शीशम के लगाने हेतु पाबन्द किया जाता है एवं तहसीलदार नोहर को पाबन्द किया जाता है कि बगैर अनुमति से काटे गये पेड़ों की जब्तशुदा लकड़ी की नियमानुसार निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें व उक्त समस्त कार्यवाही 10 दिवस में सम्पन्न की जाकर मय रसीद आपके द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करवाया जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पृथक से पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

आदेश आज दिनांक 21/12/23 को मेरे द्वारा द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:56:25 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर